न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 395 सन 2018

अनवान :–

1. देवकीनन्दन पुत्र भीखाराम जाति माली निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. भीखाराम पुत्र नानकराम जाति माली निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. रामनिवास पुत्र भीखाराम जाति माली निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. मंजु 4 सरोज 5. सन्तोष 6. बसन्ती 7. माया 8. अनसुईया पुत्रीया भीखाराम जाति माली निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 30/8/18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 330/212 के खसरा न0 286/0.2910हैक , खसरा न0 337/3.6420हैक , खसरा न0 871/1.4160हैक , खसरा न0977/1 की 2.1750हैक कुल 7.5240हैक भूमि स्थित है जो पूर्व में वादी के दादा नानकराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा नानकराम का देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई एवं वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 330/212 के खसरा न0 286/0.2910हैक , खसरा न0 337/3.6420हैक , खसरा न0 871/1.4160हैक , खसरा न0977/1 की 2.1750हैक कुल 7.5240हैक भूमि प्राप्त हुई विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादी की बहनें है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों समर्थन में पूर्व में राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 330/212 के खसरा न0 286/0.2910हैक , खसरा न0 337/3.6420हैक , खसरा न0 871/1.4160हैक , खसरा न0977/1 की 2.1750हैक कुल 7.5240हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/08/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)